


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/7/21	<p> पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आव्ये इपन/अप्रार्थी आव्ये अनु०/गत पेड़ी पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित व जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी का जवाब खन्य किया जाता है। प्रार्थी की प्रा पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ख. नं० 153/3 रकबा 19 बिस्ता ग्राम माणकलाव के नामान्तरण संख्या 1246 के तहत शीमति पुष्पा कौर पत्नी हरिसिंह खातेदार दर्ज है। पत्रावली में दिनांक 13.2.19 को प्रार्थीगण के पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसका अप्रार्थीगण द्वारा को विरोध आज दिनांक में नहीं किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पत्र में सिद्ध होता है। अतः ता फैसला मूलवाद के अप्रार्थीगणों को पाबन्द किया जाता है की ख. नं० 153/3 रकबा 19 बिस्ता ग्राम माणकलाव जिला व तहसील जोधपुर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, निर्माण बेचन व हस्तान्तरण स्वयं या किसी अन्य एजेंसी मार्फत ना करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नयी मूल वाद हो। </p>	 <p> सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक नृसिंह (नि), जोधपुर </p>

